



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2011/अग्रहायण 8, 1933

No. 643]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2011/AGRAHAYANA 8, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 848(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत-पत्र (IX-निर्गम) नियम, 2011 है।
- (2) ये 01 दिसंबर, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (i) "अधिनियम" से सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) अभिप्रेत है;
- (ii) "नकदी" से भारतीय करेंसी में नकदी अभिप्रेत है;
- (iii) "पत्र" से राष्ट्रीय बचत-पत्र (IX-निर्गम) अभिप्रेत है;
- (iv) "निगम" से उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम अभिप्रेत है;
- (v) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है और इसके अधीन वे प्ररूप भी हैं जो डाक विभाग द्वारा विहित किए जाएं;
- (vi) "सरकारी कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है;
- (vii) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगर निगम, नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, पत्तन आयुक्तों का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए वैध रूप से हकदार है या जिसे ऐसा नियंत्रण या प्रबंध सरकार द्वारा वैध रूप से न्यस्त किया गया है;

- (viii) "पुराना पत्र" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय बचत-पत्रों के पूर्व निर्गमों में से किसी निर्गम के अधीन जारी किया गया पत्र; और
- (ix) "डाकघर" से अभिप्रेत है भारत का ऐसा विभागीय डाकघर जो बचत बैंक का कार्य कर रहा है और ऐसा अन्य डाकघर जो डाक विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

3. वे अभिधान जिनमें ये पत्र दिए जाएंगे, - राष्ट्रीय बचत-पत्र (IX-निर्गम) 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10000 रुपये में अभिधान किए जाएंगे और ऐसे अन्य अभिधानों में दिए जाएंगे जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

4. पत्रों के प्रकार और उनका दिया जाना:

(1) पत्र निम्नलिखित प्रकार के होंगे, अर्थात:-

- (क) एकलधारक प्रकार के पत्र;
- (ख) संयुक्त "क" प्रकार के पत्र; और
- (ग) संयुक्त "ख" प्रकार के पत्र।

- (2) (क) किसी वयस्क को स्वयं उसके लिए या किसी अवयस्क की ओर से या किसी अवयस्क को एकल धारक प्रकार के पत्र दिए जा सकेंगे;
- (ख) संयुक्त "क" प्रकार के पत्रों को दो ऐसे वयस्कों को जारी किया जा सकेगा जो दोनों धारकों को संयुक्त रूप से या उत्तरजीवी को देय हों; और
- (ग) संयुक्त "ख" प्रकार के पत्रों को दो ऐसे वयस्कों को संयुक्त रूप से जारी किया जा सकेगा जो धारकों में से किसी को या उत्तरजीवी को देय हो।

(3) अनिवासी भारतीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों का क्रय करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

5. पत्रों का क्रय: किसी भी रकम के पत्रों का क्रय किया जा सकेगा।

6. पत्रों के क्रय के लिए प्रक्रिया: नियम 4 में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो पत्र का क्रय करना चाहता है, या तो स्वयं या अल्प बचत स्कीम के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता की मार्फत प्ररूप 1 में आवेदन किसी डाकघर में प्रस्तुत करेगा।

7. विधिक निविदान: पत्र के क्रय के लिए संदाय निम्नलिखित रीतियों में से किसी में किसी डाकघर में किया जा सकेगा, अर्थात:

- (i) नकद;
- (ii) स्थानीय रूप से निष्पादित चैक, अदायगी आदेश या डिमांड ड्राफ्ट, जो डाकपाल के पक्ष में लिखा हो;
- (iii) डाकघर बचत बैंक खाते से प्रत्याहरण के लिए पासबुक सहित प्रत्याहरण प्ररूप, जो सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हैं, पेश करके;
- (iv) उस पुराने परिपक्व पत्र का अभ्यर्पण जो निम्नलिखित रूप से सम्यक रूप से उन्मोचित किया गया है द्वारा "नए पत्र के जारी करने से संदाय प्राप्त हुआ संलग्न आवेदन पत्र देखिए।"

8. पत्रों को जारी किया जाना:

- 1) नियम 7 के अधीन संदाय करने पर, उसके सिवाय जहां संदाय चैक, अदायगी आदेश या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है, प्रमान्यतः पत्र तत्काल जारी किया जाएगा और ऐसे पत्र की तारीख उनके संदाय की तारीख होगी।
- 2) जहां पत्र क्रय करने के लिए संदाय किसी चैक, अदायगी आदेश, या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाता है वहां यथास्थिति चैक, अदायगी आदेश या डिमांड ड्राफ्ट के आगमों के वसूल होने से पूर्व ऐसा पत्र जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे पत्र की तारीख यथास्थिति चैक, अदायगी आदेश या डिमांड ड्राफ्ट के भुनाने की तारीख होगी।
- 3) यदि किसी कारण से पत्र तत्काल जारी नहीं किया जा सकता है तो क्रेता को ऐसी अनंतिम रसीद दी जाएगी जो बाद में पत्र में बदली जा सकेगी और ऐसे पत्र की तारीख वह होगी जो यथास्थिति उप-नियम (1) या उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट है।

9. पुराने पत्रों के आगमों के बदले में पत्र, - पुराने पत्र का ऐसा धारक, जो उस पत्र के भुनाने का हकदार है, प्ररूप 1 में इन नियमों के अधीन पत्र दिए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को इन नियमों के अधीन पत्र जारी किया जाएगा और जारी करने की तारीख वह होगी जिसका सम्यक रूप से उन्मोचित पुराना पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

10. एक डाकघर से दूसरे डाकघर को अंतरण, -

- (1) कोई पत्र, किसी ऐसे डाकघर से जहां वह रजिस्ट्रीकृत है, किसी अन्य डाकघर को विहित प्ररूप में धारक या धारकों द्वारा दोनों डाकघरों में से किसी डाकघर में आवेदन करने पर, अन्तरित किया जा सकेगा।
2. प्रत्येक ऐसे आवेदन पत्र के धारक या धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे: परन्तु संयुक्त "क" प्रकार के पत्र या संयुक्त "ख" प्रकार के पत्र की दशा में आवेदन पर संयुक्त धारकों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकेंगे, यदि दूसरा मर गया है।

11. पत्र का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरण, - (1) कोई पत्र डाकघर के किसी अधिकारी की लिखित पूर्व सहमति से अन्तरित किया जा सकेगा जैसे कि नीचे विनिर्दिष्ट है (जिसे इन नियमों में इसके पश्चात प्राधिकृत डाकपाल कहा गया है।

मामले जिनमें अंतरण की मंजूरी दी जा सकती है	अधिकारी का पदनाम जो अंतरण की अनुज्ञा देने के लिए सक्षम है
(क) (i) मृत धारक के नाम से उसके वारिस को; (ii) किसी धारक से न्यायालय को या न्यायालय के आदेश के अधीन किसी व्यक्ति को; (iii) एकल धारक से संयुक्त धारक के नाम जिनमें अंतरण एक व्यक्ति होगा; और (iv) संयुक्त धारकों में से उनमें से किसी एक के नाम।	उस डाकघर का डाकपाल जहां पत्र रजिस्ट्रीकृत है।
(ख) अन्य मामलों में।	प्रधान डाकपाल

(2) उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकृत डाकपाल पत्र के अंतरण के बारे में अपनी सहमति तभी देगा जबकि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो जाती है, अर्थात:-

- (क) अंतरिती इन नियमों के अधीन पत्रों का क्रय करने का पात्र है;
- (ख) अंतरण, पत्र की तारीख से कम से कम एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात किया जाता है या जहां अंतरण के लिए आवेदन ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाता है, वहां अंतरण निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी में आता है, अर्थात:-

(i) नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किसी निकट संबंधी को अंतरण;

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, "निकट संबंधी" से पति, पत्नी, पारम्परिक पूर्व पुरुष या पारम्परिक वंशज, भाई या बहिन अभिप्रेत है।

(ii) मृतक धारक के वारिस के नाम अंतरण;

(iii) किसी धारक से न्यायालय या न्यायालय के आदेशों के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण;

(iv) नियम 12 के अनुसार अंतरण; और

(v) संयुक्त धारकों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके उत्तरजीवी के नाम अंतरण।

(ग) अंतरण के लिए आवेदन विहित प्ररूप में किया जाता है और उस पर पत्र के धारक या धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

परंतु संयुक्त "क" प्रकार के पत्र या संयुक्त "ख" प्रकार के पत्र की दशा में आवेदन पर धारकों में से किसी एक के द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकेगा, यदि दूसरा मर गया है।

(3) उप-नियम (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाग डाले बिना, कोई प्राधिकृत डाकपाल केवल किसी अवयस्क की ओर से धारण किए गए पत्र के अंतरण के बारे में अपनी सहमति देगा, यदि प्रस्थापित अंतरण के समय, यथास्थिति अधिनियम की धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट माता या पिता या संरक्षक लिखित रूप में यह प्रमाणित करता है कि अवयस्क जीवित है और ऐसा अंतरण उसके हित में है।

(4) नियम 12 के अधीन अंतरण से भिन्न, अंतरण के प्रत्येक मामले में, मूल पत्र को सम्यक रूप से उन्मोचित किया जाएगा और नए पत्र को जिस पर वही तारीख है जो अभ्यर्पित मूल पत्र की है, अंतरिती के नाम जारी किया जाएगा।

12. पत्र का गिरवी रखा जाना, -

(1) विहित प्ररूप में अंतरक और अंतरिती द्वारा आवेदन करने पर रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय का डाकपाल किसी भी समय यह अनुज्ञा दे सकेगा कि ऐसे पत्र:

(क) भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को उसकी शासकीय हैसियत में;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसाइटी को, जिसके अन्तर्गत सहकारी बैंक भी है;

(ग) किसी निगम या सरकारी कम्पनी को; और

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण को;

प्रतिभूति के रूप में अंतरित किए जाएं:

परन्तु किसी अवयस्क की ओर से क्रय किए गए पत्र का अंतरण इस उप-नियम के अधीन तब तक नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि अधिनियम की धारा 5 के, यथास्थिति, खंड (ख) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट अवयस्क की माता या पिता या संरक्षक यह प्रमाणित नहीं करता है कि अवयस्क जीवित है और अंतरण अवयस्क के फायदे के लिए है।

- (2) जब उप-नियम (i) के अधीन प्रतिभूति के रूप में किसी पत्र का अंतरण किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय का डाकपाल पत्र पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात:

"प्रतिभूति के रूप में को अंतरित"

- (3) इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस नियम के अधीन किसी पत्र के अंतरित के बारे में तब तक यह समझा जाएगा कि वह पत्र का धारक है जब तक कि उसका पुनः अंतरण उप-नियम (4) के अधीन नहीं हो जाता है।
- (4) उप-नियम (2) के अधीन अंतरित पत्र को गिरवीदार के लिखित प्राधिकार पर, प्राधिकृत डाकपाल की लिखित रूप में पूर्व मंजूरी से पुनः अंतरित किया जा सकेगा और जब ऐसा पुनः अंतरण किया जाता है तब रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय का डाकपाल पत्र पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात:-

".....को पुनः अंतरित"

टिप्पण 1: सरकार का ऐसा राजपत्रित अधिकारी जो राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की ओर से उप-नियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में पत्र स्वीकार करता है या उप-नियम (4) के अधीन गिरवी का विमोचन करता है, स्वयं को इस निमित्त प्राधिकृत करने वाली सरकारी अधिसूचना के संख्यांक और तारीख की विशिष्टियां देते हुए, तारीख और कार्यालय की मुद्रा सहित अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की ओर से ऐसी लिखत या विलेख निष्पादित करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत है।

टिप्पण 2: यथास्थिति भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी का, जिसमें सहकारी बैंक, निगम या, सरकारी कम्पनी या स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं, ऐसा अधिकारी जो अपनी-अपनी संस्थाओं की ओर से उप-नियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में पत्र स्वीकार करता है या उप-नियम (4) के अधीन गिरवी का विमोचन करता है, तारीख और कार्यालय की मुद्रा सहित अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि वह उक्त संस्था के अनुच्छेदों के अधीन उसकी ओर से ऐसी लिखत या विलेख निष्पादित करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत है।

- (5) जहां किसी पत्र पर, उप-नियम (2) और (4) के अधीन किए गए अनेक पृष्ठांकन के परिणामस्वरूप उस पत्र पर उसी प्रकार का अतिरिक्त पृष्ठांकन करने के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता है, वहां ऐसे पत्र के बदले में रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय के डाकपाल द्वारा एक नया पत्र जारी किया जा सकेगा।
- (6) उप-नियम (5) के अधीन जारी किए गए किसी नए पत्र को इन नियमों के सभी प्रयोजनों के लिए उस पत्र के समतुल्य समझा जाएगा जिसके बदले में यह जारी किया गया है।

13. खो गए या नष्ट हो गए पत्र का प्रतिस्थापन:-

- (1) यदि कोई पत्र खो जाता है, चोरी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है या विरूपित हो जाता है तो उसका हकदार व्यक्ति उस डाकघर को जिसमें पद का रजिस्ट्रीकरण हुआ है या किसी अन्य डाकघर को, जिस दशा में आवेदन रजिस्ट्रीकरण के डाकघर को भेज दिया जाएगा, पत्र की दूसरी प्रति दिए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा।
- (2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ एक ऐसा विवरण होगा जिसमें पत्र संख्यांक, रकम और तारीख जैसी विशिष्टियां तथा वे परिस्थितियां जिनसे ऐसी हानि, चोरी, विनाश, विकृति या विरूपण हुआ है, दर्शित होंगी।
- (3) यदि पत्र खो जाने, चोरी, विनाश, विकृति या विरूपण के बारे में रजिस्ट्रीकरण के डाकघर के भारसाधक अधिकारी का समाधान हो जाता है, तो वह पत्र की दूसरी प्रति तब जारी करेगा जब आवेदक एक या अधिक अनुमोदित प्रतिभूतियों या बैंक की गारंटी सहित क्षतिपूर्ति बंधपत्र विहित प्ररूप में दे देता है।

परंतु जहां खो गए, चोरी हुए, नष्ट हुए, विकृत हुए या विरूपित हुए पत्र या पत्रों का अंकित या कुल अंकित मूल्य 500 रुपए या उससे कम है वहां पत्र या पत्रों की दूसरी प्रति तब जारी की जा सकेगी जब आवेदक ने, ऐसी प्रतिभूति या गारंटी के बिना, क्षतिपूर्ति बंध पत्र दे दिया है।

परंतु यह और कि जब ऐसा आवेदन ऐसे पत्र के बारे में किया जाता है जो विकृत या विरूपित है, चाहे वह कितने ही अंकित मूल्य का हो, पत्र की दूसरी प्रति ऐसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र, प्रतिपूर्ति या गारंटी के बिना तब जारी की जा सकेगी, जब विकृत या विरूपित पत्र का अभ्यर्पण कर दिया जाता है और पत्र की पहचान मूल रूप से जारी किए गए पत्र के रूप में की जा सकती है।

- (4) उप-नियम (3) के अधीन जारी की गई पत्र की दूसरी प्रति को इन नियमों के सभी प्रयोजनों के लिए मूल पत्र के समतुल्य माना जाएगा सिवाय इसके कि इसे उस डाकघर से भिन्न, जिसमें ऐसे पत्र का रजिस्ट्रीकरण हुआ है, अन्य किसी डाकघर में पूर्व-सत्यापन के बिना भुनाया नहीं जा सकेगा।

14. नाम-निर्देशन:-

- (1) उपनियम (2) से (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पत्र के एकल धारक या संयुक्त धारक पत्र का क्रय करते समय प्ररूप 1 में आवश्यक विशिष्टियां भर कर ऐसे किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जो, यथास्थिति, एकल धारक या दोनों संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में पत्र और उस पर शोध्य रकम के संदाय का हकदार होगा। यदि पत्र का क्रय करते समय ऐसा कोई नाम-निर्देशन नहीं किया जाता है, तो यथास्थिति, एकल धारक, संयुक्त धारक या उत्तरजीवी संयुक्त धारक पत्र क्रय करने के पश्चात किसी भी समय किंतु उसके परिपक्व होने के पूर्व, उस डाकघर के, जिसमें पत्र का रजिस्ट्रीकरण किया गया है, डाकपाल को प्ररूप 2 में आवेदन करके नाम-निर्देशन कर सकेगा।
- (2) एक से अधिक व्यक्तियों का नाम-निर्देशन ऐसे मामलों में नहीं किया जाएगा जहां पत्र 500 रुपए या अधिक अभिधान का है अन्यथा नहीं।
- (3) ऐसे किसी पत्र के बारे में कोई नाम-निर्देशन नहीं होगा जिसके बारे में किसी अवयस्क द्वारा या उसकी ओर से आवेदन किया गया है और जो उसके द्वारा या उसकी ओर से धारित है।
- (4) इस नियम के अधीन पत्र के धारक या धारकों द्वारा किए गए नाम-निर्देशन को उस डाकघर के जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत है, डाकपाल को पत्र सहित नियम 25 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट मूल्य के डाक टिकट लगाकर प्ररूप 3 में आवेदन करके रद्द या परिवर्तित किया जा सकेगा।

- (5) विभिन्न तारीखों पर रजिस्ट्रीकृत पत्रों की बाबत नाम-निर्देशन के लिए या किसी नाम-निर्देशन के रद्दकरण या किसी नाम-निर्देशन में परिवर्तन करने के लिए पृथक आवेदन किए जाएंगे।
- (6) नाम-निर्देशन या किसी नाम-निर्देशन का रद्दकरण या किसी नाम-निर्देशन का परिवर्तन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको यह डाकघर में रजिस्ट्रीकृत होता है और वही तारीख पत्र पर लिखी जाएगी।

15. **परिपक्व होने पर भुनाया जाना:-** किसी भी अभिधान के पत्र की परिपक्वता अवधि पत्र की तारीख से आरंभ होने वाली दस वर्ष की अवधि होगी। इसकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी भी समय पत्र के भुनाए जाने पर संदेय रकम, जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, 100 रुपए के अभिधान वाले पत्रों के 234.35 रुपए होगी और किसी अन्य अभिधान के लिए आनुपातिक दर पर होगी। नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज पत्र के धारक या धारकों को प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रोदभूत होगा और प्रत्येक वर्ष के अंत से पांचवे वर्ष के अंत तक इस प्रकार प्रोदभूत होने वाला ब्याज धारक की ओर से पुनर्विनिहित किया गया माना जाएगा और पत्र के अंकित मूल्य की रकम में जोड़ा जाएगा।

सारणी

वर्ष जिसके लिए ब्याज प्रोदभूत होता है	100 रुपए के अभिधान वाले पत्र पर प्रोदभूत होने वाले ब्याज की रकम (रुपए में)
(1)	(2)
पहला वर्ष	8.89
दूसरा वर्ष	9.68
तीसरा वर्ष	10.54
चौथा वर्ष	11.48
पांचवा वर्ष	12.50
छठा वर्ष	13.61
सातवां वर्ष	14.82
आठवां वर्ष	16.13
नौवां वर्ष	17.57
दसवां वर्ष	19.13

टिप्पण:- किसी अन्य मूल्यवर्ग के पत्र पर प्रोदभूत होने वाले ब्याज की रकम ऊपर दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।

16. समयपूर्व भुनाना:-

- (1) नियम 15 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और उप-नियम (2), (3) और (4) के अधीन रहते हुए, किसी पत्र को निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में समयपूर्व भुनाया जा सकेगा अर्थात:-
- (क) धारक की या संयुक्त धारकों की दशा में किसी भी धारक की मृत्यु होने पर,
- (ख) जब गिरवी इन नियमों के अनुरूप है तब ऐसे गिरवीदार द्वारा समपहरण पर, जो राजपत्रित सरकारी अधिकारी है; या
- (ग) न्यायालय का आदेश होने पर।

- (2) यदि कोई पत्र, उप-नियम (1) के अधीन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर भुनाया जाता है तो पत्र का केवल अंकित मूल्य संदेय होगा।
- (3) यदि कोई पत्र, उपनियम (1) के अधीन पत्र की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात किन्तु तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व भुनाया जाता है तो भुनाया जाना कटौती पर होगा। पत्र के भुनाए जाने पर, पत्र के अंकित मूल्य के समतुल्य रकम साधारण ब्याज सहित, संदेय होगी। ऐसे साधारण ब्याज की संगणना ऐसे पूर्ण मासों के लिए, जिनके लिए पत्र धारित किया गया है, डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के अधीन एकल खातों को समय-समय पर लागू दर पर अंकित मूल्य पर की जाएगी। पूर्वोक्त साधारण ब्याज और नियम 15 के अधीन प्रोदभूत होने वाले ब्याज के बीच के अंतर को कटौती समझा जाएगा।
- (4) यदि कोई पत्र, उप-नियम (1) के अधीन पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात भुनाया जाता है तो संदेय रकम, जिसमें नियम 15 के अधीन प्रोदभूत ब्याज भी सम्मिलित है, और कटौती का समायोजन करने के पश्चात वह होगी जो 100 रुपए के अभिधान वाले पत्र के लिए नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट है और वह किसी अन्य अभिधान के पत्र के लिए आनुपातिक दर पर होगी।

सारणी

पत्र की तारीख से उसके भुनाए जाने की अवधि	संदेय रकम जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है (रुपए)
(1)	(2)
3 वर्ष या अधिक, किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से कम	123.14
3 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 4 वर्ष से कम	127.49
4 वर्ष या अधिक, किन्तु 4 वर्ष और 6 मास से कम	131.99
4 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 5 वर्ष से कम	136.65
5 वर्ष या अधिक, किन्तु 5 वर्ष और 6 मास से कम	143.81
5 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 6 वर्ष से कम	149.13
6 वर्ष या अधिक, किन्तु 6 वर्ष और 6 मास से कम	154.65
6 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 7 वर्ष से कम	160.37
7 वर्ष या अधिक, किन्तु 7 वर्ष और 6 मास से कम	166.30
7 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 8 वर्ष से कम	172.46
8 वर्ष या अधिक, किन्तु 8 वर्ष और 6 मास से कम	178.84
8 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 9 वर्ष से कम	185.46
9 वर्ष या अधिक, किन्तु 9 वर्ष और 6 मास से कम	192.32
9 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 10 वर्ष से कम	199.43

17. भुनाए जाने का स्थान : कोई पत्र उस डाकघर से, जहां वह रजिस्ट्रीकृत हुआ है, भुनाया जा सकेगा -

परंतु पत्र को किसी अन्य डाकघर से भुनाया जा सकेगा यदि उस डाकघर के भार-साधक अधिकारी का उसके रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय से यह सत्यापन करने पर यह समाधान हो जाता है कि भुनाने के लिए पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उसके भुनाने का हकदार है।

18. पत्रों का उन्मोचन :

- (1) किसी पत्र के अधीन शोध्य रकम को प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति, इसके भुनाए जाने पर, इसके पीछे संदाय प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा।
- (2) किसी ऐसे अवयस्क की ओर से क्रय किए गए पत्र की दशा में जिसने अब वयस्कता प्राप्त कर ली है, पत्र उस व्यक्ति द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जाएगा किन्तु उसके हस्ताक्षर उस व्यक्ति द्वारा जिसने इसे उसकी ओर से क्रय किया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे डाकपाल जानता है, अनुप्रमाणित किए जाएंगे।
- (3) नियम 25 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर, पत्र भुनाने वाले किसी व्यक्ति को डाकघर द्वारा उन्मोचन का प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा।

19. अवयस्क के पत्र का भुनाया जाना :

- (1) अवयस्क की ओर से पत्र को भुनाने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 5 के खंड (ख) के यथास्थिति, उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट अवयस्क के माता-पिता या संरक्षक से इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र देगा कि अवयस्क जीवित है और धन की अवयस्क की ओर से अपेक्षा है।
- (2) जब नामनिर्देशिती अवयस्क है तो अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, पत्र को भुनाते समय, यह प्रमाणपत्र देगा कि अवयस्क जीवित है और धन की अवयस्क की ओर से अपेक्षा है।

20. वारिसों को संदाय : (1) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी मृत्यु के समय किसी बचत-पत्र का धारक है और उसकी मृत्यु के समय कोई नाम-निर्देशन प्रवृत्त नहीं है और उसकी विल प्रोबेट या उसकी संपदा के प्रशासनपत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन दिए गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को धारक की मृत्यु से तीन मास के भीतर उपनियम (2) की सारणी में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को पेश नहीं किया जाता है तो, यदि बचत-पत्र पर शोध्य रकम 20,000 रुपए से अधिक नहीं है (जिसमें समय-समय पर दिए गए और मृतक द्वारा धारित बचत पत्रों पर शोध्य रकम सम्मिलित है), उपनियम (2) की सारणी में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उसका संदाय किसी ऐसे व्यक्ति को कर सकेगा जो रकम प्राप्त करने का हकदार या मृतक की संपदा का प्रशासन करने वाला प्रतीत हो।

(2) नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, बचत-पत्र के धारक की मृत्यु पर प्रत्येक के सामने दी गई सीमा तक उसकी विल प्रोबेट या उसकी संपदा के प्रशासन पत्र या भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन दिए गए उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए बिना, दावे को मंजूर करने के लिए सक्षम होंगे।

सारणी

प्राधिकारी का नाम	सीमा (रुपए)
(i) विभागीय उप डाकपाल जो काल वेतन मान डाकघर में है	1000 रुपए
(ii) उप डाकपाल जो निम्न चयन श्रेणी डाकघर में है	2,000 रुपए
(iii) उप डाकपाल/डिप्टी पोस्टमास्टर/डाकपाल जो उच्च चयन ग्रेड में है (सभी अराजपत्रित)।	5,000 रुपए
(iv) डाकघरों के डिप्टी पोस्टमास्टर/वरिष्ठ डाकपाल/ डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर/डाकघर अधीक्षक/डाकघर उप-अधीक्षक (सभी राजपत्रित समूह ख)	20,000 रुपए

(v) मुख्य कार्यालयों के मुख्य डाकपाल, डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक (सभी राजपत्रित समूह क)	50,000 रुपए
(vi) क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक (महा डाकघर) (मुंबई और कोलकाता में)	75,000 रुपए
(vii) मुख्य महा-डाकपाल/महा-डाकपाल (मुख्यालय और क्षेत्र)	1,00,000 रुपए

21. सेना, वायु सेना और नौसेना के कर्मिकों द्वारा धारित पत्रों का भुनाया जाना : जहां पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित है जो सेना अधिनियम, 1959 (1950 का 46) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह अभित्याजन करता है वहां उस कोर, विभाग, यूनिट या पोत, जिससे मृत व्यक्ति या अभित्याजक का संबंध था, का, यथास्थिति, कमान आफिसर या समायोजन समिति उस डाकघर के भारसाधक अधिकारी को, जहां पत्र रजिस्ट्रीकृत हुआ है, पत्र के अधीन शोध्य रकम उसे संदाय करने के लिए एक अध्यापेक्षा भेज सकेगी; और डाकघर का भारसाधक अधिकारी ऐसी अध्यापेक्षा का अनुपालन करने के लिए तब भी बाध्य होगा चाहे पत्र के धारक की मृत्यु या अभित्याजन के समय किसी व्यक्ति के हक में किया गया कोई नाम-निर्देशन प्रवृत्त है।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त अध्यापेक्षा, सेना या वायु सेना के व्यक्ति की दशा में सेना और वायु सेना (प्राइवेट संपत्ति का व्ययन) अधिनियम, 1950 (1950 का 40) की धारा 3 या 4 के अधीन या नौसेना के व्यक्ति की दशा में नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 171 या धारा 172 के अधीन की जाएगी।

22. नामनिर्देशितियों के अधिकार:

(1) पत्र के धारक की मृत्यु की दशा में, जिसकी बाबत नाम-निर्देशन प्रवृत्त है, नामनिर्देशिती पत्र की परिपक्वता से पूर्व या पश्चात किसी भी समय :

(क) पत्र को भुनाने; या

(ख) पत्र को समुचित अभिधानों में, व्यक्तिगत नामनिर्देशितियों या संयुक्त रूप से दो वयस्क नाम-निर्देशितियों के पक्ष में उप-विभाजित करने,

का हकदार होगा या होंगे।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, उत्तरजीवी नामनिर्देशिती रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय के डाकपाल को धारक की मृत्यु और मृत नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों यदि कोई हैं, के बारे में सबूत के साथ, एक आवेदन देगा/देंगे।

(3) यदि एक से अधिक नामनिर्देशिती हैं तो, सब नाम निर्देशिती संदाय प्राप्त करते समय या उसके उपविभाजित के समय पत्र का संयुक्त उन्मोचन करेंगे।

टिप्पण : जहां नाम-निर्देशन किसी एकल नामनिर्देशिती या दो वयस्क नामनिर्देशितियों के पक्ष में है वहां रजिस्ट्रीकरण का डाकघर उस निमित्त आवेदन दिए जाने पर, यथास्थिति, ऐसे नामनिर्देशिती या संयुक्त रूप से नामनिर्देशितियों के नाम में नया पत्र जारी कर सकेगा।

23. एक अभिधान से दूसरे में संपरिवर्तन:

(1) कम अभिधानों के पत्र उसी सकल अंकित मूल्य के उच्चतर अभिधान के पत्र या पत्रों में बदले जा सकेंगे या उच्चतर अभिधान का पत्र उसी सकल अंकित मूल्य के उससे कम अभिधान के पत्रों में बदला जा सकेगा :-

परंतु भिन्न तारीखों वाले पत्रों को उच्चतर अभिधान के पत्र या पत्रों में बदलने के लिए मिलाया नहीं जाएगा।

- (2) बदले गए पत्र या पत्रों के जारी किए जाने की तारीख वही होगी जो अभ्यर्पित किए गए मूल्य पत्र या पत्रों की है, न कि वह तारीख जिसको पत्र बदला गया है।
24. **आयकर :** आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन इन पत्रों के ब्याज पर आयकर, नियम 15 में विनिर्दिष्ट वार्षिक प्रोदभूत के आधार पर लगेगा किन्तु पत्र के उन्मोचन मूल्य के संदाय के समय आयकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।
25. **फीस :** (1) निम्नलिखित संव्यवहारों के बारे में पांच रुपए की फीस प्रभार्य होगी, अर्थात् :-
- (i) पत्र का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरण; जो धारक से न्यायालय को या न्यायालय के आदेश के अधीन अंतरण से भिन्न है;
 - (ii) नियम 13 के अधीन पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना;
 - (iii) नियम 18 के अधीन उन्मोचन पत्र का जारी किया जाना;
 - (iv) नियम 23 के अधीन एक अभिधान से दूसरे अभिधान में संपरिवर्तन।
- स्पष्टीकरण:-** खण्ड (iv) के अधीन संपरिवर्तन के लिए प्रभारित को जाने वाली फीस ऐसे संपरिवर्तन पर जारी किए जाने के लिए अपेक्षित पत्रों की संख्या पर आधारित होगी।
- (2) नाम-निर्देशन के रजिस्ट्रीकरण या नाम-निर्देशन में किसी परिवर्तन या उसके रद्दकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पर पांच रुपए की फीस प्रभार्य होगी:-

परंतु प्रथम नाम-निर्देशन के रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदन पर कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी।

26. **डाकघर का उत्तरदायित्व:-** किसी व्यक्ति द्वारा पत्र का कब्जा अभिप्राप्त करने और इसे कपटपूर्वक भुनाने से धारक को हुई हानि के लिए डाकघर उत्तरदायी नहीं होगा।
27. **भूल की परिशुद्धि:-** डाक विभाग, या महाडाकपाल या डाक प्रभागों के प्रधान अपनी-अपनी अधिकारिता में, या तो स्वप्रेरणा से या इन नियमों के अनुसरण में जारी किए गए पत्र में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर, उस पत्र की बावत किसी लेखन या गणित संबंधी भूल को परिशुद्ध कर सकेंगे, किन्तु यह तब जब इससे सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति को कोई वित्तीय हानि नहीं होती है।
28. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के किसी उपबंध के प्रवर्तन से, पत्र के धारक तो धारकों को अनुचित कष्ट होता है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा उस उपबंध की अपेक्षाओं को, ऐसी रीति में, जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, शिथिल कर सकेगी।

प्ररूप-1

(नियम 6 देखिए)

राष्ट्रीय बचत-पत्र (IXवां निर्गम) के क्रय के लिए आवेदन का प्ररूप

क्रम सं.....

सेवा में,

डाकपाल.....डाकघर

मैं/हम-

(क)..... और के नाम में एकल/संयुक्त 'क'/संयुक्त 'ख' प्रकार के राष्ट्रीय बचतपत्र (IXवां निर्गम) के क्रय के लिए नकद/चैक सं.....द्वारारुपए (केवल.....) निविदत्त करता हूँ/करते हैं।

(ख) अवयस्क की दशा में, जिसकी जन्म की तारीख..... है जो अवयस्क के माता या पिता/संरक्षक श्रीमती..... द्वारा भुनाया जा सकेगा।

मैं/हम निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामनिर्देशित करता हूँ/करते हैं जो मेरी/हमारी मृत्यु पर संदाय प्राप्त करेगा/करेंगे।

क्र.सं. नामनिर्देशिती का नाम

पूरा पता

अवयस्क नामनिर्देशिती के जन्म की तारीख

3. मैं/हम राष्ट्रीय बचतपत्र (IXवां निर्गम) निर्गम, 2011 का पालन करने के लिए करार करता हूँ/करते हैं।

4. पत्र मेरे/हमारे अभिकर्ता.....प्राधिकार सं.....या संदेशवाहक को, जो इस आवेदन को प्रस्तुत करता है, दे दिया जाए।

नाम-निर्देशन के साक्षी के हस्ताक्षर और पता विनिधानकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, तारीख और पता

डाकघर द्वारा भरे जाने के लिए

पत्र की क्रम सं.	निर्गम कीमत रु0	भुनाए जाने की तारीख	डाकपाल के आद्यक्षर	हस्ताक्षर सहित टिप्पणियां जैसे अंतरण, दूसरी प्रति का जारी किया जाना, आदि
------------------	-----------------	---------------------	--------------------	--

योग

तारीख

मुख्य/उप/ डाकपाल के हस्ताक्षर

प्ररूप 2
डाक विभाग
(नियम 14(1) देखिए)

क्रम सं.....

सरकारी बचतपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6 के अधीन नाम-निर्देशन के लिए आवेदन का प्ररूप।
(यह प्ररूप धारक/धारकों द्वारा भरा जाएगा और उस कार्यालय के डाकपाल को, जहां पत्र रजिस्ट्रीकृत हुए हैं, पत्रों सहित दिया जाएगा)।

सेवा में,

डाकपाल,

.....

महोदय,

सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के उपबंधों के अधीन मैं/हमजो बचत पत्रों, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, का धारक हूँ/हैं, निम्न वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरी/हमारी मृत्यु पर बचत पत्रों और उन पर शोध्य राशि जो संदाय होती है, का अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जित करते हुए हकदार होगा/होंगे, नामनिर्देशित करता हूँ/करते हैं। मैं/हम यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने इन पत्रों की बाबत अब तक कोई नाम-निर्देशन नहीं किया है।

क्र.सं. नामनिर्देशिती का नाम

पूरा पता

अवयस्क की दशा में

नामनिर्देशिती के जन्म की

तारीख

2. उपरोक्त क्रम सं.....पर नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं/मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पूरा पता) को, नामनिर्देशिती/नामनिर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी मृत्यु हो जाने की दशा में उस पर शोध्य राशि को वसूल करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

3. नीचे वर्णित पत्र संलग्न है।

पत्रों की क्रम सं.	अभिदान	जारी करने की तारीख	जारी करने वाला कार्यालय
(1)			
(2)			
(3)			
पता			भवदीय,
(निरक्षर धारक की दशा में पिता का नाम दिया जाना चाहिए)		धारक/धारकों के हस्ताक्षर (अंगूठे का निशान यदि निरक्षर हों/हैं)	

साक्षी

नाम (1)

पता

नाम (2)

पता

कृपया ध्यान दें.....निरक्षर धारक की दशा में साक्षी वे व्यक्ति होंगे जिनके हस्ताक्षर डाकघर में हैं।

नाम-निर्देशन को स्वीकार करने वाले
डाकपाल का आदेश

डाकघर की तारीख मोहर

प्रधान/उप डाकपाल के हस्ताक्षर

प्ररूप 3

(नियम 14(4) देखिए)

क्रम सं.....

सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6 के अधीन बचत पत्रों की बाबत पूर्ववर्ती नाम-निर्देशन के रद्दकरण या उसमें परिवर्तन के लिए आवेदक का प्ररूप।

(यह प्ररूप धारक/धारकों द्वारा भरा जाएगा और उस कार्यालय के डाकपाल की, जहां पत्र रजिस्ट्रीकृत हुआ है, पत्र सहित दिया जाएगा)।

डाकपाल

महोदय,

सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के उपबंधों के अधीन मैं/हमजो बचतपत्र, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, का धारक हूँ/हैं इन पत्रों, जो आपके कार्यालय में संख्यांकतारीख.....के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, की बाबत अपने द्वारा किए गए पूर्ववर्ती नाम-निर्देशन को रद्द करता हूँ/करते हैं।

*रद्द किए गए नाम-निर्देशन के स्थान पर मैं/हम निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता हूँ/करते हैं जो मेरी/हमारी मृत्यु पर अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्णित करते हुए पत्र/पत्रों और उस पर शोध राशि, जो संदाय होनी है, का/कि हकदार होगा/होंगे।

क्रम सं.	नामनिर्देशी/नामनिर्देशितियों का/के नाम	पूरा पता	अवयस्क की दशा में नामनिर्देशी के जन्म की तारीख

*केवल परिवर्तन की दशा में भरा जाएगा।

2. उपरोक्त क्रम सं.....पर नामनिर्देशी अवयस्क है/हैं, मैं/हम, श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पूरा पता) को नामनिर्देशी/नामनिर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी मृत्यु हो जाने की दशा में, उस पर शोध राशि की वसूल करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

3. नीचे वर्णित पत्र संलग्न है।

पत्रों की क्रम सं.	अभिदान	जारी करने की तारीख	जारी करने वाला कार्यालय
(निरक्षर धारक की दशा में पिता का नाम दिया जाना चाहिए) पता	भवदीय धारक/धारकों के हस्ताक्षर (यदि निरक्षर हों तो अंगूठे का निशान)		

नाम.....(1)

पता.....

नाम.....(2)

पता.....

निरक्षर धारक की दशा में पिता का नाम दिया जाए।

.....
डाकघर की तारीख मोहर

नाम-निर्देशन को स्वीकार करने वाले डाकपाल का
आदेश प्रदान/उप डाकपाल के हस्ताक्षर

[फा. सं. 1-13/2011-एन.एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2011

G.S.R. 848(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificate Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement :-

- (1) These rules may be called the **National Savings Certificates (IX-Issue) Rules, 2011.**
- (2) They shall come into force on the 1st day of December, 2011.

2. Definitions :- In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (i) **"Act"** means the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959)
- (ii) **"cash"** means cash in Indian currency;
- (iii) **"certificate"** means the National Savings Certificates (IX-Issue);
- (iv) **"Corporation"** means a corporation established by or under any law for the time being in force;
- (v) **"Form"** means form appended to these rules and also includes forms as prescribed by the Department of Posts;
- (vi) **"Government Company"** means a company as defined in section 617 of the Companies Act 1956 (1 of 1956);
- (vii) **"Local Authority"** means a municipal corporation, municipal committee, district board, Body of port commissioners or other authority legally entitled to or entrusted by the Government with the control or management of municipal or local fund;
- (viii) **"Old Certificate"** means a certificate issued under any of the earlier issues of National Savings Certificates;
- (ix) **"Post Office"** means any departmental post office in India doing Savings bank work and such other post office as is authorised by the Department of Posts;

3. Denominations in which certificates shall be issued, - The National Savings Certificates (IX Issue) shall be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 500, Rs. 1000, Rs. 5000, Rs. 10000 and such other denominations as may be notified by the Central Government from time to time.**4. Types of Certificates and Issue thereof, -**

- (1) The certificates shall be of the following types, namely:—
 - (a) Single Holder Type certificates;
 - (b) Joint 'A' Type Certificates; and
 - (c) Joint 'B' Type Certificates;
- (2)
 - (a) A Single Holder Type certificate may be issued to an adult for himself or on behalf of a minor or to a minor;
 - (b) A Joint 'A' Type certificate may be issued jointly to two adults payable to both the holders jointly or to the survivor,

- (c) A Joint 'B' Type certificate may be issued jointly to two adults payable to either of the holders or to the survivor;
- (3) Non Resident Indians are not eligible to purchase the National Savings Certificates.

5. Purchase of Certificates,- Certificates may be purchased for any amount.

6. Procedure for purchase of certificates,- Any person specified in rule 4, desiring to purchase a certificate, shall present at a Post Office an application in Form 1, either in person or through an authorised agent of the Small Savings Schemes.

7. Legal Tender,- Payment for the purchase of a certificate may be made to a post office in any of the following modes, namely:-

- (i) cash;
- (ii) a locally executed cheque, pay order or demand draft drawn in favour of the postmaster;
- (iii) by presenting a duly signed withdrawal form together with the pass book for withdrawal from the Post Office Savings Bank account,
- (iv) surrender of a matured old certificate duly discharged as follows; "Received payment through issue of fresh of fresh certificate vide application attached".

8. Issue of certificates,-

- (1) On payment being made under rule 7, except where payment is made by a cheque, pay order or demand draft, a certificate shall normally be issued immediately, and the date of such certificate shall be the date of payment.
- (2) Where payment for the purchase of a certificate is made by a cheque, pay order or demand draft, the certificate shall not be issued before the proceeds of the cheque, pay order or demand draft, as the case may be, are realised and the date of such certificate shall be the date of encashment of the cheque, pay order or demand draft, as the case may be.
- (3) If for any reason a certificate cannot be issued immediately, a provisional receipt shall be given to the purchaser which may later be exchanged for a certificate and the date of such certificate shall be as specified in sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be.

9. Certificate in lieu of proceeds of old certificate,- A holder of an old certificate entitled to encash that certificate may make an application in Form 1 for the grant of a certificate under these rules; on receipt of such an application, there shall be issued to the applicant a certificate under these rules, the date of issue being the date on which the old certificate duly discharged is presented.

10. Transfer from one post office to another,-

- (1) A certificate may be transferred from a post office at which it stands registered, to any other post office on the holder or holders making an application in the prescribed form at either of the two post offices.
- (2) Every such application shall be signed by the holder or holders of the certificate:
Provided that in the case of Joint 'A' Type certificate or a Joint 'B' Type certificate, the application may be signed by one of the joint holders if the other is dead.

4357 9/11-3

- 11. Transfer of certificate from one person to another,-** (1) A certificate may be transferred with the previous consent in writing of an office of the post office as specified below (hereinafter referred to in these rules as authorised Postmaster)

TABLE

Cases in which transfer can be sanctioned	Designation of the officer competent to grant permission for transfer
(1)	(2)
(a) (i) From the name of a deceased holder to his/her heir, (ii) From a holder to court of law or to any other person under the orders of court of law. (iii) From a single holder to the names of joint holders of whom the transferee shall be one. (iv) From joint holders to the name of one of the joint holders.	Postmaster of the post office where the certificate stands registered.
(b) All other cases.	Head Postmaster

- (2) An authorised Postmaster as referred in sub-rule (1) shall give his consent to the transfer of a certificate only if the following conditions are satisfied, namely:-

- (a) the transferee is eligible under these rules to purchase certificates;
(b) the transfer is made after the expiry of a period of at least one year from the date of the certificate or where the transfer is sought before the expiry of such period, the transfer falls under any of the following categories, namely:-

- (i) transfer to a near relative out of natural love and affection;

Explanation:- For the purposes of this rule, "near relative" means husband, wife, lineal ascendant or descendent, brother or sister;

- (ii) transfer in the name of the heir of the deceased holder;
(iii) transfer from a holder to a court of law or to any other person under the orders of the court of law;
(iv) transfer in accordance with rule 12;
(v) transfer in the name of the survivor in the event of death of one of the joint holders.

- (c) An application for transfer is made in the prescribed form and is signed by the holder or holders of the certificate:

Provided in the case of a Joint 'A' Type Certificate or Joint 'B' Type Certificate, the application may be signed by one of the holders, if the other is dead.

- (3) Without prejudice to the provisions of sub-rule (2), an authorised Postmaster shall give his consent to the transfer of a certificate held on behalf of a minor only if at the time of the proposed transfer, a parent or the guardian referred to in sub-clause (i) or, as the case may be, sub-clause (ii), of clause (b) of section 5 of the Act, certifies in writing, that the minor is alive and that such transfer is in his interest.

- (4) In every case of transfer, other than a transfer under rule 12, the original certificate shall be duly discharged and the new certificate bearing the same date as that of the original certificate surrendered shall be issued in the name of the transferee.

12. Pledging of certificate,-

- (1) On an application being made in the prescribed form, by the transferor and the transferee, the Postmaster of the office of the registration may, at any time, permit the transfer of any certificate as security to-
- the President of India or Governor of a State in his official capacity;
 - the Reserve Bank of India or a scheduled bank or a cooperative society including a cooperative bank;
 - a corporation or a Government company; and
 - a local authority:

Provided that the transfer of a certificate purchased on behalf of a minor shall not be permitted under this sub-rule unless the parent or the guardian of a the minor referred to in sub-clause (i) or as the case may be sub-clause (ii), of clause (b) of section 5 of the Act certifies in writing that the minor is alive and that the transfer is for the benefit of the minor.

- (2) When any certificate is transferred as security under sub-rule (1), the Postmaster of the office of the registration shall make the following endorsement on the certificate, namely: -
"Transferred as security to"

- (3) Except as otherwise provided in these rules, the transferee of a certificate under this rule shall, until it is re-transferred under sub-rule (4), be deemed to be the holder of the certificate.

- (4) A certificate transferred under sub-rule (2), may, on the written authority of the pledge, be re-transferred with the previous sanction in writing of the authorised Postmaster and when any such retransfer is made, the Postmaster of the office of registration shall make the following endorsement on the certificate, namely:-

"Re-transferred to....."

Note 1: A Gazetted officer of the Government accepting the certificate as security under sub-rule (1) or releasing the pledge under sub-rule (4) on behalf of the President or the Governor of a State, shall certify under his dated signature and seal of office that he is duly authorised to execute such instruments or deeds on behalf of the President of India or Governor of a State, giving the particulars of the number and date of the notification of the Government authorising him in this behalf.

Note 2: An officer of the Reserve Bank of India or a scheduled bank or a cooperative society including a cooperative bank, a corporation or a Government company or a local authority, as the case may be, accepting the certificate as security under sub-rule (1) or releasing the pledge under sub-rule (4) on behalf of the respective institution, shall certify under his dated signature and seal of the office that he is duly authorised under the articles of the said institution, to execute such instruments or deeds on its behalf.

- (5) Where as a result of several endorsements made under sub-rules (2) and (4) on a certificate, no space is left for making further endorsements of a like character on that certificate, a fresh certificate may be issued by the Postmaster of the office of the registration in lieu of such certificate.

- (6) A fresh certificate issued under sub-rule (5) shall be treated as equivalent to the certificate in lieu of which it has been issued for all purposes of these rules.

13. Replacement of lost or destroyed certificate,-

- (1) If a certificate is lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, the person entitled thereto may apply for the issue of a duplicate certificate to the post office where the certificate is registered or to any other post office in which case the application will be forwarded to the post office of registration.
- (2) Every such application shall be accompanied by a statement showing particulars, such as number, amount and date of the certificate and the circumstances attending such loss, theft, destruction, mutilation or defacement.
- (3) If the Officer in charge of the post office of registration is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the certificate, he shall issue a duplicate certificate on the applicant furnishing an indemnity bond in the prescribed form with one or more approved sureties or with a bank's guarantee:

Provided that where the face value or the aggregate face value of the certificate or certificates lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced is Rs. 500 or less, a duplicate certificate or certificates may be issued on the applicant furnishing an indemnity bond without any such surety or guarantee:

Provided further that where such application is made with respect to a certificate mutilated or defaced, of whatever face value, a duplicate certificate may be issued without any such indemnity bond, surety or guarantee, if the certificate mutilated or defaced is surrendered and the certificate is capable of being identified as the one originally issued.

- (4) A duplicate certificate issued under sub-rule (3) shall be treated as equivalent to the original certificate for all the purposes of these rules except that it shall not be encashable at a post office other than the post office at which such certificate is registered without previous verification.

14. Nomination,-

- (1) Subject to the provisions of sub-rules (2) to (6), the single holder or joint holders of a certificate may, by filling in necessary particulars on Form 1 at the time of purchasing the certificate, nominate any person who, in the event of death of the single holder or both the jointly holders, as the case may be, shall become entitled to the certificate and to the payment of the amount due thereon. If such nomination is not made at the time of purchasing the certificate, it may be made by the single holder, the joint holders or the surviving joint holder, as the case may be, at any time after the purchase of the certificate but before its maturity, by means of an application in Form 2 to the Postmaster of the office at which the certificate stands registered.
- (2) There shall not be more than one nominee, except in cases where the denomination of a certificate is Rs. 500 or more.
- (3) No nomination shall be made in respect of a certificate applied for and held by or on behalf of a minor.
- (4) A nomination made by the holder or holders of a certificate under this rule may be cancelled or varied by submitting an application in Form 3 affixing postage stamps of the value specified

in sub-rule (2) of rule 25 together with the certificate to the postmaster of the post office at which the certificate stands registered.

- (5) Separate application for nomination or cancellation of a nomination or variation of a nomination shall be made in respect of certificates registered on different dates.
- (6) The nomination or the cancellation of a nomination or the variation of a nomination shall be effective from the date it is registered in the post office, which shall be noted on the certificate.

15. Encashment on maturity,- The maturity period of a certificate of any denomination shall be ten years commencing from the date of the certificate. The amount, inclusive of interest, payable on encashment of a certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be **Rs. 234.35** for denomination of Rs. 100 and at proportionate rate for any other denomination. The interest specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year up to the end of the ninth year, shall be deemed to have been re-invested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

The year for which interest accrues	Amount of interest (Rs.) accruing on certificate of Rs. 100 denomination
(1)	(2)
First Year	8.89
Second Year	9.68
Third Year	10.54
Fourth Year	11.48
Fifth Year	12.50
Sixth Year	13.61
Seventh Year	14.82
Eighth Year	16.13
Ninth Year	17.57
Tenth Year	19.13

Note: The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in Table above.

16. Premature encashment,-

- (1) Notwithstanding anything contained in rule 15 and subject to sub-rules (2), (3), and (4), a certificate may be prematurely encashed in any of the following circumstances, namely:-
 - (a) on the death of the holder or any of the holders in case of joint holders;
 - (b) on forfeiture by a pledge being a Gazetted Government Officer when the pledge is in conformity with these rules; or
 - (c) when ordered by court of law.
- (2) If a certificate is encashed under sub-rule (1) within a period of one year from the date of the certificate, only the face value of the certificate shall be payable.
- (3) If a certificate is encashed under sub-rule (1) after expiry of one year but before the expiry of three years from the date of certificate, the encashment shall be at a discount. On encashment of the certificate, an amount equivalent to the face value of the certificate together with simple interest shall be payable. Such simple interest shall be calculated on the face value at the rate applicable from time to time to single accounts under the Post Office

Savings Account Rules, 1981, for the complete months for which the certificate has been held. The difference between the aforesaid simple interest and the interest accruing under rule 15 shall be deemed to be the discount.

- (4) If a certificate is encashed under sub-rule (1) after the expiry of three years from the date of the certificate, the amount payable inclusive of interest accrued under rule 15 and after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below for a certificate of Rs. 100 denomination and at a proportionate rate for a certificate of any other denomination.

TABLE

Period from the date of the certificate to the date of its encashment	Amount payable inclusive of interest (Rs)
(1)	(2)
3 years or more, but less than 3 years and 6 months	123.14
3 years and 6 months or more, but less than 4 years	127.49
4 years or more, but less than 4 years and 6 months	131.99
4 years and 6 months or more, but less than 5 years	136.65
5 years or more, but less than 5 years and 6 months	143.81
5 years and 6 months or more, but less than 6 years	149.13
6 years or more, but less than 6 years and 6 months	154.65
6 years and 6 months or more, but less than 7 years	160.37
7 years or more, but less than 7 years and 6 months	166.30
7 years and 6 months or more, but less than 8 years	172.46
8 years or more, but less than 8 years and 6 months	178.84
8 years and 6 months or more, but less than 9 years	185.46
9 years or more, but less than 9 years and 6 months	192.32
9 years and 6 months or more, but less than 10 years	199.43

17. Place of encashment,- A certificate shall be encashable at the post office at which it stands registered:

Provided that a certificate may be encashed at any other post office if the officer-in-charge of that post office is satisfied on verification from the office of its registration that the person presenting the certificate for encashment is entitled thereto.

18. Discharge of certificate,-

- (1) The person entitled to receive the amount due under a certificate shall, on its encashment, sign on the back thereof in token of having received the payment.
- (2) In the case of a certificate purchased on behalf of a minor who has since attained majority, the certificate shall be signed by such person himself, but his signature shall be attested by

the person who purchased it on his behalf or by any other person who is known to the Postmaster.

- (3) A certificate of discharge may be issued by the post office to any person encashing a certificate on payment of the fee specified in sub-rule (1) of rule 25.

19. Encashment of minor's certificate,-

- (1) A person encashing a certificate on behalf of a minor shall furnish a letter from the parent or guardian of the minor referred to in sub-clause (i), or as the case may be, sub-clause (ii), of clause (b) of section 5 of the Act, to the effect that the minor is alive and that the money is required on behalf of the minor.
- (2) When nominee is a minor, the person appointed under sub-section (3) of section 6 of the Act while encashing the certificate, shall furnish a certificate that the minor is alive and that the money is required on behalf of the minor.

20. Payment to heirs,-

- (1) If a person dies and is at the time of his death the holder of a Savings Certificate and there is no nomination in force at the time of his death and probate of his will or letters of administration of his estate or a succession certificate granted under the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) is not, within three months of the death of the holder produced to the authority specified in the Table to sub-rule (2), then if the sum due on the Savings Certificate does not exceed Rs. 20,000 (inclusive of the sum due on the Savings Certificates issued from time to time and held by the deceased), the authority specified in the Table to sub-rule (2) may pay the same to any person appearing to it to be entitled to receive the sum or to administer the estate of the deceased.
- (2) The authorities specified in the Table below shall be competent to sanction claims upto the limit noted against each on the death of the holder of the savings certificate without production of the probate of his will or letters of administration of his estate or succession certificate granted under the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925).

TABLE

	Name of the authority	Limit in (RS)
	(1)	(2)
(i)	Time Scale Departmental Sub-Postmasters	1,000
(ii)	Sub-Postmaster in Lower Selection Grade	2,000
(iii)	Sub-Postmasters/Deputy Postmasters/Postmaster in Higher Selection Grade (All Non Gazetted)	5,000
(iv)	Deputy Postmasters/Senior Postmasters/Deputy Chief Postmasters/Superintendent of Post Offices/Deputy Superintendent of Post Offices (All Gazetted Group-B)	20,000
(v)	Chief Postmaster in Head Offices, Senior Superintendents of Post Offices (All Gazetted Group-A)	50,000
(vi)	Regional Directors/Director (General Post Offices)(in Mumbai and Kolkata)	75,000
(vii)	Chief Postmasters General/Postmasters General (Headquarter and Region)	1,00,000

21 Encashment of Certificates held by Army, Air Force and Navy Personnel,- Where a certificate is held by a person who is subject to the Army Act, 1950 (46 of 1950) or the Air Force Act, 1950 (45 of 1950) or the Navy Act, 1957 (62 of 1957), and such person dies or deserts, the Commanding Officer of the Corps, department, unit or ship to which the deceased or deserter belonged or the Committee of Adjustment, as the case may be, may send a requisition to the officer-in-charge of the post office where the certificate stands registered to pay him or it, the amount due under the certificate; and the officer-in-charge of the post office shall be bound to comply with such requisition even though there is in force at the time of death or desertion of holder of the certificate a nomination made in favour of any person.

Explanation: The aforesaid requisition must be made under section 3 of section 4 of the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 (40 of 1950) in the case of a person belonging to the Army or the Air Force, or under section 171 or 172 of the Navy Act 1957 (62 of 1957) in the case of a person belonging to the Navy.

22. Rights of nominees,-

(1) In the event of the death of the holder of a certificate in respect of which a nomination is in force, the nominee or nominees shall be entitled at any time before or after the maturity of the certificate to,-

- (a) encash the certificate; or
- (b) sub-divide the certificate in appropriate denominations in favour of individual nominees or two adult nominees jointly.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the surviving nominee or nominees shall make an application to the Postmaster of the office of registration, supported by proof of death of the holder and of deceased nominee or nominees, if any.

(3) If there are more nominees than one, all the nominees shall give a joint discharge of the certificate at the time of receiving the payment or sub-division.

Note: When there is a nomination in favour of single nominee or two adult nominees, the post office of registration may, on an application made in that behalf, issue a fresh certificate in the name of such nominee or nominees jointly as the case may be.

23. Conversion from one denomination to another,-

(1) Certificates of lower denomination may be exchanged for a certificate or certificates of higher denominations of the same aggregate face value or a certificate of higher denomination may be exchanged for the certificates of lower denomination of the same aggregate face value:

Provided that certificate bearing different dates shall not be combined for being exchanged for certificate or certificates of higher denomination.

(2) The date of the certificate or certificates issued in exchange shall be the same as that of the original certificate or certificates surrendered and not the date on which the exchange is made.

24. Income Tax,- Interest on these certificates shall be liable to tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), on the basis of the annual accrual specified in rule 15, but no tax shall be deducted at the time of payment of discharge value.

25. Fees,- (1) A fee of rupees five shall be chargeable in respect of the following transactions, namely:-
(i) transfer of certificate from one person to another other than a transfer from the holder to a court of law or under the orders of court of law;

- (ii) issue of duplicate certificate under rule 13;
- (iii) issue of a certificate of discharge under rule 18;
- (iv) conversion from one denomination to another under rule 23.

Explanation,- The fee to be charged for a conversion under clause (iv) shall be based on the number of the certificates required to be issued on such conversion.

- (2) A fee of rupees five shall be chargeable on every application for registration of nomination or of any variation in nomination or cancellation thereof:

Provided that no fee shall be charged on an application for registration of the first nomination.

- 26. Responsibility of the Post Office,-** The post office shall not be responsible for any loss caused to a holder by any person obtaining possession of a certificate and fraudulently encashing it.
- 27. Rectification of mistakes,-** The Department of Posts, or the Postmasters General or the Heads of Postal Division in their respective jurisdictions, may either suo-moto or upon an application by any person interested in any certificates issued in pursuance of these rules, rectify any clerical or arithmetical mistakes, with respect to that certificate, provided that it does not involve any financial loss to the Government or to any such person.
- 28. Power to relax,-** Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of these rules causes undue hardship to the holder or holders of a certificate, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

FORM-1

(See Rule 6)

Serial No.....

FORM OF APPLICATION FOR PURCHASE OF NATIONAL SAVINGS CERTIFICATES (IX ISSUE)

To

The Postmaster

Sir,

I/We hereby tender Rs.....(Rupees.....only) in cash/by cheque No.for purchase of National Savings Certificates IX Issue of the type Single/Joint A/Joint B.

(a) in the name(s) of.....and.....

(b) in case of minor, his/her date of birth.....encashable by the minor's parent/guardian Shri/Smt.....

2. I/We nominate the person(s) named below who shall on my/our death, receive payment.

Sl. No.	Name of Nominee	Full Address	Date of birth of minor nominee

3. I/We hereby agree to abide by National Savings Certificates (IX Issue) Rules, 2011.
4. The Certificates may be made over to my/our agent Shri/Smt.....Authority
No..... or messenger who presents the application.

Signature and address of Witnesses to nomination

.....

.....

Signature/Thumb impression of Investor

Date.....

Address.....

Delete whichever is not applicable

Received the certificate(s)

Signature of Investor/messenger/authorised agent.

Date.....

TO BE COMPLETED BY THE POST OFFICE

S.No. of Certificates	Issue Price (Rs.)	Date of encashment	Initials of the Postmaster	Remarks like transfer, issue of duplicate, etc. With initials

Date.....

Signature of Head/Sub Postmaster

1. Name
Address

2. Name
Address

N.B. In the case of illiterate holders, the witnesses shall be persons whose signature are known to the Post Office.

Order of the Postmaster accepting the nomination.

Date Stamp of Post Office

Signature of Head/Sub-Postmaster

FORM-2

DEPARTMENT OF POSTS

(See Rule 14(1))

Serial No.....

FORM OF APPLICATION FOR NOMINATION UNDER SECTION 6 OF THE GOVERNMENT SAVINGS CERTIFICATES ACT, 1959

(This form will be filled in by the holder(s) and submitted with the certificates to the Postmaster of the office where the certificate stands registered)

To

The Postmaster

Sir,

Under provisions of Section 6(1) of the Government Savings Certificates Act 1959, I/We.....the holder(s) of Savings Certificates detailed below, hereby nominate the persons mentioned below, who shall, on my/our death, become entitled to the Savings Certificate(s) and to be paid the sum due thereon to the exclusion of all other persons. I/We hereby declare that I/We have not so far made any nomination in respect of these certificates.

Sl. No.	Name of the nominee(s)nominee	Full Address	Date of birth of in case of minor

2. As the nominee(s) at serial number(s).....above is/are minor(s). I/We appoint Shri/Smt./Kumari.....(name and full address) as the person to receive the sum due thereon in the event of my/our death during the minority of the nominee(s).

3. The certificates detailed below are enclosed.

Sl. Nos. of Certificates	Denomination	Date of Issue	Office of Issue

Address

Yours faithfully,

.....
(In case of illiterate holder, father's name should be given)

Signature (or thumb impression
If illiterate of holder(s))

Witnesses-

FORM-3

(See Rule 14(4))

Serial No.....

FORM OF APPLICATION FOR CANCELLATION OR VARIATION OF NOMINATION PREVIOUSLY MADE IN RESPECT OF SAVINGS CERTIFICATES UNDER SECTION 6 OF THE GOVERNMENT SAVINGS CERTIFICATES ACT, 1959

(This form will be filled in by the holder/s and submitted with the certificates to the Postmaster of the office where the certificate stands registered)

To

The Postmaster

Sir,

Under provisions of Section 6(1) of the Government Savings Certificates Act 1959, I/We.....the holder(s) of Savings Certificates detailed below, hereby cancel the nomination previously made by me/us in respect of these certificates and registered in your office under No.....dated.....

*In place of the cancelled nomination. I/Wee hereby nominate the person/s mentioned below, who shall, on my/our death become entitled to the savings certificates and be paid the sum due thereon to the exclusion of all other persons.

Sl. No.	Name of the nominee(s)	Full Address	Date of birth of nominee in case of minor

*To be filled in case of variation only.

2. As the nominee(s) at serial number(s).....above is/are minor(s). I/We appoint Shri/Smt./Kumari.....(name and full address) as the person to receive the sum due thereon in the event of my/our death during the minority of the nominee(s).
3. The certificates detailed below are enclosed.

Sl. Nos. of Certificates	Denomination	Date of Issue	Office of Issue

Address

.....

Yours faithfully,

.....

(In case of illiterate holder, father's name should be given)

Signature (or thumb impression If illiterate of holder(s))

Witnesses-

1. Name
Address
2. Name
Address

N.B. In the case of illiterate holders, the witnesses shall be persons whose signature are known to the Post Office.

Order of the Postmaster accepting the nomination.

Date Stamp of Post Office

Signature of Head/Sub-Postmaster

[F. No. 1-13/2011-NS-II]
M. A. KHAN, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2011/अग्रहायण 16, 1933

No. 656]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2011/AGRAHAYANA 16, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 868(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि राष्ट्रीय बचत-पत्र-IX निर्गम, बचत-पत्रों का वह वर्ग होगा जिस पर उक्त अधिनियम लागू होता है।

[फा. सं. 1-13/2011-एन.एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2011

G.S.R. 868(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby specifies that the National Savings Certificates-IX Issue shall be the class of Savings Certificates to which the said Act applies.

[F. No. 1-13/2011-NS-II]

M. A. KHAN, Under Secy.



भारत का The Gazette of India

संस्कृत

पत्रिका

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००

पत्रिका संख्या १०००